निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0नं0 54 / अपील / 20

उनवान अपील

शिवनारायण आ0 कन्हैयालाल कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम?

01. सन्तोष पुत्र तुलसीराम कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
02. रामगोपाल पिता राधेश्याम नाई नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
03. बालाराम वल्द राधेश्याम नाई नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
04. देवीलाल वल्द काशीराम कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
05. विष्णुलाल पिता किशनलाल कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिडावा
06. सत्यनारायण पिता घीसा कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
07. मदनलाल वल्द काशीराम कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
08. कैलाश वल्द काशीराम कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
09. रणजीतसिंह वल्द तेजसिंह राजपूत नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
10. घनश्याम पिता उदयसिंह कुल्मी नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिड़ावा

(रेस्पोडेन्ट्स)

अपील बनाराजी आदेश दिनांक 31.08.2020 तहसीलदार पिड़ावा नामान्तरकरण संख्या 1557

उपस्थितः— श्री शैलेन्द्र पोसवाल,अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमितोष आचार्य, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 10
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांकः 07.12.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 31.08.2020 जिसके द्वारा ग्राम खारपाकंला की आराजी ख0न0 315,357 व 360 का नामान्तरकरण संख्या 1557 तस्दीक किया गया से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में निवेदन किया है कि रेस्पो0 न0 11 द्वारा जो इन्तकाल न0 1557 दिनांक 31.08.2020 तस्दीक किया गया है मनमाना विधिक प्रक्रिया व बिना विधि अवज्ञा के खोला गया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही कर सकते। एलाटमेन्ट खारिज पश्चात उसकी अपील आरएए कोटा में चलने पर अपील खारिज के आदेश के फेसले की नकल रेस्पो0 संतोष द्वारा प्रस्तुत करने पर एलाटमेन्ट खारिज किया गया उसमें विधिक प्रक्रिया का ध्यान नही रखा गया। 40 साल बाद उक्त फैसले की पालना गलत करवाई गई है,जब तक इजराय नही होती तब तक एलाटमेन्ट को खारिज नही किया जा सकता,अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना चाहिये था। अपीलान्ट वर्तमान में आराजी पर काबिज काश्त है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट त्रुटीपूर्ण की उक्त आराजी तलाई हे उसकी रेफरेन्स भिजवाई जा चुकी है। पटवारी हल्का ने एलाटमेन्ट खारिज के संबन्ध में दो केस सहायक जिला मजिस्ट्रेट व आर.ए.ए. कोटा में चले थे जिनका हवाला दिया है जबकि रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का एलाटमेन्ट खारिज करवाने व कब्जा छुडवाने का दावा पेश किया था जिससे सिद्ध हो जाता है कि 45 साल से उपर का कब्जा अपीलान्ट का है। वर्तमान में आराजी पर अपीलान्ट काबिज है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1557 निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 लगायत 10 की और से अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य उपस्थित हुए व रेस्पो0 11 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.12.1975 को आंवटित की गई थी उक्त आंवटन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 28.08.1978 को आवंटन निरस्त किया गया जिसकी अपील आर.ए.ए. कोटा में की गई थी जो नो इन्स्ट्रक्शन में खारिज की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही कर सकते। एलाटमेन्ट खारिज पश्चात उसकी अपील आरएए कोटा में चलने पर अपील खारिज के आदेश के फैसले की नकल रेस्पो0 संतोष द्वारा प्रस्तुत करने पर एलाटमेन्ट खारिज किया गया उसमें विधिक प्रक्रिया का ध्यान नही रखा गया। 40 साल बाद उक्त फैसले को पालना गलत करवाई गई है,जब तक इजराय नही होती तब तक एलाटमेन्ट को खारिज नही किया जा सकता,अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना चाहिये था। अपीलान्ट वर्तमान में आराजी पर काबिज काश्त है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट त्रुटीपूर्ण की उक्त आराजी तलाई हे उसकी रेफरेन्स भिजवाई जा चुकी है। पटवारी हल्का ने एलाटमेन्ट खारिज के संबन्ध में दो केस सहायक जिला मजिस्ट्रेट व आर.ए.ए. कोटा में चले थे जिनका हवाला दिया है जबकि रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का एलाटमेन्ट खारिज करवाने व कब्जा छुडवाने का दावा पेश किया था जिससे सिद्ध हो जाता है कि 45 साल से उपर का कब्जा अपीलान्ट का है। वर्तमान में आराजी पर अपीलान्ट काबिज है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1557 निरस्त किया जावे।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 प्रकरण में प्रस्तुत लिखित के प्रकाश में व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी को सिवाय चक करने का आदेश विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त होने की पालना में ईन्तकाल तस्दीक किया गया है। आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है बल्कि रेस्पोडेन्ट व ग्रामवासियान का कब्जा है । अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के समक्ष उक्त कब्जा हटवाने बाबत दावा भी प्रस्तुत किया गया है (अपने पक्ष के समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ वाद पत्र व जवाब मय काउन्टर की छाया प्रति प्रस्तुत)। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है । अपील खारिज की जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश को उचित बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नही होना अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ वाद पत्र व जवाब मय काउन्टर की छाया प्रति जो प्रस्तुत की गई है उससे साबित है। अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.12.1975 को जो आराजी आंवटित की गई थी उक्त आंवटन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 28.08.1978 को आवंटन निरस्त किया जाना व जिला कलक्टर के आदेश की अपील अपील आर.ए.ए. कोटा में किया जाना जिसको अपीलान्ट स्वंय द्वारा दिनांक 19.04.1980 को नो इन्स्ट्रक्शन में खारिज करवाया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उक्त नामान्तरकरण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.08.1978 को ग्राम खारपाकला की आराजी ख0न0 315,357 व 360 कुल किता 03 की 19 बिस्वा आराजी का आवंटन जो अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 30.12.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था को खारिज किये जाने पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। किन्तु चूंकि हमारे ध्यान में लाया गया है कि उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति काबिज हैं तो उक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु तहसीलदार पिड़ावा को निर्देशित किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार पिड़ावा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़